

File No. CICOM/R/2017/01403/CR II

30.11.2017

**Shri Vijay Shankar Nayak**

विषय : RTI एप्लेट, २००५ के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

आप का RTI आवेदन क्रमांक 11.11.2017 का संदर्भ ले. कृपया रजिस्ट्रार (II) का उत्तर इस प्रकार है.

3. वर्ष 2012-17 के दौरान लागू /राज्य जुमाना का प्रवर्ण अनुलोकनक-1 के अनुसार है.

जुमाना का प्रवर्ण आयोग के आदेश में उपलब्ध है जिसमें जुमाना लगाया गया है। आयुक्त के आदेश आयोग की वेबसाइट ([www.cic.gov.in](http://www.cic.gov.in)) में अपलोड किया जाता है। आप आयोग के आदेश से वांछित प्रतित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उप सचिव (सीआर II)

Copy to : RTI Cell.



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[\*Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features\*](#)



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

दंड का ँवरण आयोग के आदेश मऱउपलऱध है जिसमऱदंड लगाया गया है। आदेश आयोग कऱ वेबसाइट पर ऊपर उठाए गए हऱ आप अपने .....आदेश से वऱंछत ँतृत जानकारी ऱऱ कर सकते हऱ